(136)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2010–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–3–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 62/2011–12/निगरानी.

1– रेवाराम पिता किशन पाटीदार
2– भग्गु उर्फ भगवान पिता किशन पाटीदार
3– तुलसीराम पिता किशन पाटीदार
निवासीगण ग्राम अकावल्या
तहसील एवं जिला खरगोन .....आवेदकगण

विरूद्ध

महिमाराम पिता मांगीलाल पाटीदार
निवासी ग्राम अकावल्या
तहसील व जिला खरगोन .....अनावेदक

श्री मोहन पाटीदार, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–3–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, खरगोन के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ग्राम अकावल्या स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 0.648 पैकी रकबा 0.303 हेक्टेयर पर सीमांकन में अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । अतः प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदकगण को दिलवाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–70/08–09 दर्ज कर दिनांक 9–5–2011 को आदेश पारित कर आवेदकगण का संहिता की धारा 250 का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर पुनः सीमांकन हेतु विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा दिनांक 18–10–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र का गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–3–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) सीमांकन दिनांक 9–6–2009 के अनुसार आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 0.648 पैकी रकबा 0.303 पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । उक्त सीमांकन आदेश को अनावेदक द्वारा चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है, जिस पर बिना विचार किये निगरानी स्वीकार करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक द्वारा आधिपत्य कर लिया गया था, उससे कब्जा दिलाने बावत् प्रकरण विचाराधीन था । इस दौरान अनावेदक द्वारा उसकी भूमि खसरा नम्बर 758 का सीमांकन कराया, जो उसके अनसार विवादित कराया गया, जिसकी अनावेदक ने कोई अपील या निगरानी नहीं की, जबकि इस आदेश को मद्देनजर रखते हुए खसरा नम्बर 757 पर आदेश पारित न करते हुए खसरा नम्बर 758 पर आदेश पारित किये, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा गंभीर त्रुटि की गई है ।

(3) सीमांकन के संबंध में अनावेदक को सूचना पत्र की तामील कराया जाकर दिनांक 9–6–2009 को सीमांकन किया गया था और उक्त सीमांकन आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा कोई अपील अथवा निगरानी नहीं की गई थी, अतः उक्त सीमांकन अंतिम हो गया था । ऐसी स्थिति में आवेदकगण की भूमि पर अनावेदक द्वारा जो अवैध कब्जा किया गया था, वह कानूनी रूप से आवेदकगण को प्राप्त करने का अधिकार है, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का अवैध कब्जा साक्ष्य से सिद्ध है, जिस पर ध्यान नहीं देकर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा गंभीर कानूनी भूल की गई है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य का अवलोकन कर विधिपूर्वक यह निर्णय पारित किया है कि आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र अवधि बाह्य है और आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमों में इस निष्कर्ष को कहीं चुनौती नहीं दी गई है, जो कि अंतिम हो गया है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तार से विवेचना करते हुए राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत 2005 आर.एन. 33 का अनुसरण कर आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । वर्तमान प्रकरण में साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का ट्यूबवैल 3 वर्ष पूर्व से है, जिससे सिद्ध है कि आवेदकगण को सीमांकन के पूर्व से ही प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के आधिपत्य व मालिकी की होने की जानकारी थी । ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) सीमांकन दल के प्रभारी गोपाल पटीदार के कथन आवेदकगण द्वारा नहीं कराये गये हैं और सीमांकन दल की सदस्य सुनीता द्वारा प्रतिपरीक्षण में सीमांकन कैसे हुआ, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है । स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही विधिवत नहीं हुई थी और सीमांकन सिद्ध भी नहीं है, इस कारण संहिता की धारा 250 के तहत आधिपत्य वापिस पाने के अनुतोष पाने की पात्रता आवेदकगण को नहीं है । इस तर्क के समर्थन में 1993 आर.एन. 363 एवं 1975 आर.एन. 159 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन कार्यवाही में ट्यूबवेल का उल्लेख नहीं है और न ही आवेदकगण ने अपने आवेदन में ट्यूबवेल का कब्जा मांगा है । अनावेदक ने न्यायालय को मात्र भ्रमित करने के उद्देश्य से अपने स्तर पर स्वेच्छा से ही ट्यूबवेल का बिन्दु उठाया है । अपर आयुक्त द्वारा ट्यूबवेल के कब्जे की तिथि के आधार पर ही संहिता की धारा 250 की कार्यवाही को समय बाह्य माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है ।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जाये । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–3–2013 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर